ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-39/2017

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* **साउथ इण्डियन कल्चरल एसोसिएशन, इंदौर**	*Signature of parties or pleaders where necessary*
12-01-2018	दिनांक 12.01.2018 को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री एम.डी. गोयल, सलाहकार उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री जी.एस. राजपूत, सहायक यंत्री विजिलेंस एवं श्री व्ही.बी. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए। 2 सुनवाई के प्रारंभ में आवेदक के सलाहकार से पूछा गया कि अवील अभ्यावेदन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.36 के प्रावधान अनुसार फोरम के आदेश दिनांक से 60 दिवस की समय–सीमा के बाहर है। इसलिए क्यों न अपील अभ्यावेदन खारिज किया जाए। 3 अनावेदक द्वारा भी उक्त के संबंध में आपत्ति ली गई कि नियमानुसार अपील समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए अपील निरस्त की जाए। 4 तर्क के दौरान आवेदक के सलाहकार द्वार उक्त के संबंध में लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। आवेदक के प्रतिउत्तर का अवलोकन करने पर अपील निर्धारित समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं करने का कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। अतः आवेदक की अपील निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने के कारण अपील खारिज कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। **विद्युत लोकपाल**	